

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार

REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 420
No. 18]	DELHI, THURSDAY, JANUARY, 18, 2018/PAUSHA 28, 1939	[N.C.T.D. No. 420

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

फा. सं. एफ 1(12)/डीटीटीई/एसबी/दिप्सार/2016/196.—दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (दिल्ली अधिनियम 2008 का 7) की धारा 22 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एतद द्वारा निम्नांकित अधिनियम, दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, दिल्ली का अधिनियमन करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख:— (1) यह अधिनियम दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय— दिल्ली अधिनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) यह अधिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं :— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
- क) "अधिनियम" का अर्थ है दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (दिल्ली अधिनियम 2008 का 7);

- (ख) "शैक्षिक स्टाफ" का अर्थ है प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय उपाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर, सिस्टम मैनेजर और अन्य शैक्षिक पद, जो प्रबंधक मंडल द्वारा तय किए जाएं;
- (ग) "अध्ययन मंडल" का अर्थ है, किसी केंद्र/विभाग/विद्यापीठ का अध्ययन मंडल;
- (घ) "खंड" का अर्थ है, किसी कानून का खंड, जिसमें वह अभिव्यक्त हुआ हो;
- (ङ) "प्रमुख" का अर्थ है, घटक कालेज का निदेशक या प्रधानाचार्य अथवा किसी विद्यापीठ या केंद्र के डीन अथवा किसी विभाग का अध्यक्ष;
- (च) "नैर शिक्षण स्टाफ" में रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक, और परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी स्टाफ, प्रशासनिक, लिपिकीय और अन्य स्टाफ, जो प्रबंधक मंडल द्वारा तय किए जाएं;
- (छ) "धारा" का अर्थ है, अधिनियम की कोई धारा;
- (ज) "वित्त समिति" का अर्थ है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त, परंतु, परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जो अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, उनका अर्थ वही होगा, जो उनके लिए अधिनियम में नियत किया गया है।
3. कुलाधिपति और उनके कार्य:-
- (1) दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे और सामान्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाधिपति उपस्थित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।
4. कुलपति:-
- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (2) कुलपति की नियुक्ति खंड (4) में वर्णित खोजदुर्लभ-चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखित) की सूची में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।
- (3) कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक/फार्मास्युटिकल विज्ञान या अनुसंगी स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता होगा।
- (4) खंड (2) में वर्णित खोज व चयन समिति में निम्नांकित शामिल होंगे -
- (क) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ शिक्षाविद - अध्यक्ष
- (ख) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत राजकीय मेडिकल या फार्मास्युटिकल संस्थान के पूर्ववर्ती या वर्तमान निदेशक - सदस्य
- (ग) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत राजकीय अथवा प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास केंद्र के पूर्ववर्ती या वर्तमान निदेशक - सदस्य
- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामित के रूप में कुलपति, वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती, के स्तर का कोई शिक्षाविद - सदस्य
- (ङ) राजकीय तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य सचिव (पदेन)
- सदस्य सचिव निर्णय करने के बारे में कुलाधिपति को सिफारिश करेगा।
- (5) कुलपति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर काम करेगा और खोज एवं चयन समिति के माध्यम से पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, जो एक से अधिक कार्यवधि के लिए नहीं की जा सकेगी।
- परंतु, यह उपबंधित है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने पद छोड़ना होगा।
- (6) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा शर्तें निम्नांकित अनुसार होंगी:-
- (i) कुलपति का वेतन और लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों और दिशा निर्देशों के अनुसार अथवा किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन और लाभ के समान, इनमें जो भी अधिक हो, अदा किए जाएंगे और समय समय पर संशोधित

किए जाएंगे। वह अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की कार का निशुल्क इस्तेमाल करने और सुसज्जित आवास का बिना किराया भुगतान किए उपयोग कर सकेगा और ऐसी कार एवं आवास के रख रखाव के संदर्भ में रख रखाव का कोई शुल्क कुलपति को व्यक्तिगत रूप से अदा नहीं करना होगा। परंतु यह उपबंधित है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की कुलपति के रूप में नियुक्ति की जाती है, जो पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो उसका वेतन ऐसी पेंशन पर विचार करने के बाद तय किया जाएगा।

(ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, कुलपति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर स्वीकार्य अवकाश, लाभ और भत्ते पाने का भी हकदार होगा।

(iii) कुलपति ऐसे टर्मिनल लाभ और भत्ते पाने का हकदार होगा, जो प्रबंधक मंडल द्वारा समय समय पर कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ निर्धारित किए गए हों।

परंतु, यह उपबंधित है कि विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या उससे सम्बद्ध कालेज के किसी कर्मचारी की नियुक्ति कुलपति के रूप में किए जाने की स्थिति में, उसे ऐसी भविष्यनिधि में अंशदान जारी रखने की अनुमति होगी, जिसका वह सदस्य हो और विश्वविद्यालय उत्तनी ही दर से उस भविष्यनिधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में अंशदान करेगा, जिस दर से वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले कर रहा था:

परंतु, यह और भी उपबंधित है कि यदि ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य होगा, तो विश्वविद्यालय उस योजना में आवश्यक अंशदान करेगा।

(7) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा कुलपति का पद रिक्त होने अथवा खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से उसके दायित्व निर्वहन में अक्षम हो जाने की स्थिति में, सबसे वरिष्ठ डीन कुलपति के कार्यों को अंजाम देगा, और यदि कोई नियमित डीन न हो, तो कुलपति द्वारा नियुक्त नियमित प्रोफेसर तब तक कुलपति के कार्यों को अंजाम देगा, जब तक कि नया कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता अथवा वर्तमान कुलपति अपनी छुट्टी के निर्वहन के लिए वापस नहीं आ जाता, इनमें जो भी लागू हो।

5. **कुलपति के अधिकार और कर्तव्य:-** (1) क) कुलपति शैक्षिक परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

ख) कुलाधिपति के असमर्थ होने की स्थिति में कुलपति सामान्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय की बैठक में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का पात्र होगा, परंतु ऐसी बैठकों में उसे वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(3) कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह कुलाधिपति द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे और यह देखे कि अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत अनुपालन हो रहा है। उसे ऐसा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकार होंगे।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को अमल में लाएगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार होगा और वह अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(6) विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति को सभी अधिकार होंगे और वह अपने ऐसे अधिकारों को ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय में किसी कर्मचारी को नियमानुसार अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है और वांछित समझे जाने की स्थिति में ऐसा अधिकार विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

- (8) कुलपति को, कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ, सामान्य परिषद की बैठक बुलाने अथवा बैठक बुलाए जाने के विषय तय करने और प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ प्रबंधक मंडल की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा।
- (9) कुलपति को किसी ऐसे व्यक्ति की अल्पावधि नियुक्ति, छह महीने की अवधि से अधिक नहीं, करने का अधिकार होगा, जिसे वह विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य समझता हो और प्रबंधक मंडल की अगली बैठक में तत्संबंधी जानकारी देगा।
- (10) कुलपति ऐसी गतिविधियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो, के प्रबंधन के लिए, किसी भी नाम से स्टाफ के सदस्यों की समिति अथवा उप-समिति नियुक्त कर सकता है और/या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी समितियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- (11) कुलपति ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जो विश्वविद्यालय के हित क्षेत्र से सम्बद्ध हों, में भाग लेगा या स्टाफ के अन्य सदस्यों को भाग लेने के लिए मनोनीत करेगा।
- (12) कुलपति प्रबंधक मंडल द्वारा प्रत्यायोजन के संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए चेक, मुद्रा या अन्य परक्राम्य लिखतें आहरित, सृजित, स्वीकृत और अनुमोदित करेगा।
- (13) कुलपति अपने कुछ अधिकारों का कम से कम प्रोफेसर या समकक्ष रैंक के अधीनस्थों में से किसी को प्रत्यायोजित कर सकता है और तत्संबंधी जानकारी प्रबंधक मंडल की अगली बैठक में दे सकता है।
- (14) कुलपति अधिनियम, कानूनों और अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त अन्य अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है।
6. डीन:-
- (1) विद्यापीठों या अध्ययन केंद्रों के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए डीन होंगे, जो शैक्षिक परीक्षा, अनुसंधान और परामर्श एवं विद्यार्थी कल्याण जैसे कार्यों को देखेंगे तथा अन्य ऐसे पहलुओं से निपटेंगे, जो प्रबंधक मंडल उपयुक्त समझे।
- (2) प्रत्येक डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और ऐसा व्यक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- परंतु, यह उपबंधित है कि किसी डीन के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपने पद पर नहीं रह सकेगा;

- परंतु, यह और भी उपबंधित है कि यदि किसी समय किसी विभाग या विद्यापीठ में कोई प्रोफेसर न होने की स्थिति में कुलपति द्वारा अधिकृत कोई डीन ऐसे विभाग या विद्यापीठ के अध्यक्ष के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा।
- (3) डीन का पद रिक्त होने अथवा बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से किसी डीन के अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, उसके पद के दायित्वों का निर्वहन समुचित स्तर के ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- (4) डीन उसे सौंपे गए कार्यात्मक समूह का प्रमुख होगा और वह सौंपे गए कार्यों के संचालन और उनमें मानक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (5) डीन ऐसे अन्यकार्यों को अंजाम देगा, जो अध्यादेशों के जरिए निर्धारित किए गए हों।
- (6) डीन को अध्ययन मंडल अथवा किसी विभाग/विद्यापीठ की समिति की बैठक में उपस्थित रहने और भाषण देने का अधिकार होगा, परंतु उसे उसमें वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब कि वह उसका सदस्य न हो।

7. रजिस्ट्रार:-

- (1) प्रबंधक मंडल रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नांकित शामिल होंगे-
- क) कुलपति
- ख) प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष का एक नामित
- ग) प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा का एक नामित
- घ) कुलपति द्वारा नामित कम से कम प्रोफेसर या समकक्ष रैंक के दो विशेषज्ञ

- (2) रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रबंधक मंडल द्वारा खंड (1) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (3) रजिस्ट्रार की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी:
- (4) परंतु, यह उपबंधित है कि रजिस्ट्रार 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।
- (4) रजिस्ट्रार का पद खाली होने अथवा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार के रूप में कार्य निष्पादन में असमर्थ होने की स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कुलपति द्वारा नियुक्त समुचित स्तर के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- (5) रजिस्ट्रार शिक्षकों को छोड़ कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा, जो कुलपति की ओर से जारी अध्यादेशों या सामान्य अथवा विशेष आदेशों में निर्दिष्ट किए गए हों।
- (6) खंड (5) के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के खिलाफ कुलपति के समक्ष अपील की जा सकेगी, बशर्ते वह अध्यादेशों में निर्दिष्ट अनुसार की गई हो।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां किसी जांच से यह पता चले कि रजिस्ट्रार के अधिकारों से परे दंड देने की आवश्यकता है, रजिस्ट्रार जांच के परिणाम स्वरूप, कुलपति को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें वह कुलपति द्वारा की जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई के बारे में अपनी अनुशंसाएं शामिल करेगा:
- (8) परंतु, ऐसे मामले में कुलपति द्वारा किसी कर्मचारी को दिए गए दंड के आदेश के खिलाफ प्रबंधक मंडल के समक्ष अपील की जा सकेगी।
- (6) रजिस्ट्रार सम्बद्ध प्राधिकरण के संबंध में :-
- क) विश्वविद्यालय के रिकार्डों, सामान्य मुहर और अन्य ऐसी परिसम्पत्तियों का संरक्षक होगा, जो प्रबंधक मंडल द्वारा उसके प्रभार में रखी गई हों;
- ख) प्राधिकरण और उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों के लिए नोटिस जारी करेगा और उनका आयोजन करेगा;
- ग) उस प्राधिकरण और उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का ब्यौरा रखेगा;
- घ) आधिकारिक प्रक्रियाओं और पत्राचार का संचालन करेगा; और
- ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची जारी होने के तत्काल बाद और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त के ब्यौरे की एक प्रति कुलाधिपति को भेजेगा।
- (9) रजिस्ट्रार को कुलपति या प्रबंधक मंडल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों या विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करने, पावर्स आफ अटर्नी हस्ताक्षरित करने, साक्ष्यों की जांच करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है।
- (10) रजिस्ट्रार अन्य ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकता है, जो कानूनों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्दिष्ट हों अथवा प्रबंधक मंडल/कुलपति द्वारा समय समय पर उसे सौंपे गए हों।
8. वित्त नियंत्रक:-
- (1) वित्त नियंत्रक अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अंतर्गत विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा।
- (1) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नांकित शामिल होंगे:
 - क) कुलपति
 - ख) प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष का एक नामित
 - ग) प्रमुख सचिव वित्त का एक नामित
 - घ) प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा का एक नामित
 - ङ) वित्त समिति द्वारा अनुमोदित सूची से कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ
- (2) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति उपखंड (1) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधक मंडल द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के नियंत्रण में काम करेगा।

- (3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों के जरिए निर्धारित की जाएंगी: परंतु यह उपबंधित है कि वित्त नियंत्रक 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।
- (4) वित्त नियंत्रक का पद रिक्त होने पर अथवा खराब स्वास्थ्य, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वित्त नियंत्रक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर उसके कार्यों का निर्वहन इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- (5) वित्त नियंत्रक निम्नांकित कार्य करेगा -
- क) विश्वविद्यालय की निधियों की सामान्य देखरेख करना और वित्तीय नीतियों के बारे में विश्वविद्यालय को परामर्श देना; और
- ख) अन्य ऐसे वित्तीय कार्यों को अंजाम देना जो प्रबंधक मंडल द्वारा उसे सौंपे गए हों, अथवा कानूनों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए गए हों।
- (6) कुलपति और प्रबंधक मंडल के नियंत्रण के अधीन वित्त नियंत्रक निम्नांकित कार्य करेगा -
- क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ख) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की निधियों के समुचित और समय पर निवेश के लिए जिम्मेदार होना;
- ग) वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लेखा बहियों का प्रारूप प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होना;
- घ) विश्वविद्यालय की लेखा बहियों का विभागीय और बाहरी लेखा परीक्षण कराने के लिए जिम्मेदार होना;
- ड) यह सुनिश्चित करना कि वर्ष के दौरान आवर्तक और गैर-आवर्तक व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार नहीं किया गया है तथा धन उन्हीं प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल या खर्च किया गया, जिनके लिए वह अनुमोदित या आवंटित किया गया था;
- च) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार करने और वित्त समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद उन्हें प्रबंधक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होना;
- छ) नकदी और बैंक शेष और निवेश पर सतत निगरानी रखना;
- ज) राजस्व की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखना और नियोजित वसूली पद्धतियों के बारे में सलाह देना;
- झ) किसी अनधिकृत व्यय अथवा किसी अन्य वित्तीय अनियमितता के बारे में कुलपति को जानकारी देना और दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई का सुझाव देना;
- ञ) राजस्व नियमन और विश्वविद्यालय की लागत में किफायत के लिए उचित उपाय करना;
- ट) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों को कारगर ढंग से लागू करना और सुनिश्चित करना कि आय और व्यय विश्वविद्यालय के बजट के अनुरूप हैं;
- ठ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के रजिस्टर ठीक ढंग से रखे गए हैं और कार्यालयों, विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों में उपकरणों और अन्य सामग्री के स्टॉक की जांच समयबद्ध ढंग से की गई है;
- ड) किसी केंद्र/विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कालेजों सहित विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से, कोई ऐसी जानकारी या रिपोर्ट मंगवाना, जो वह अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक समझता हो;
- (7) वित्त नियंत्रक या प्रबंधक मंडल की ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई रसीद विश्वविद्यालय को धन के भुगतान के लिए पर्याप्त प्रमाण समझी जाएगी।

9. पुस्तकालयाध्यक्ष:-

पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति प्रबंधक मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी, जो निर्धारित योग्यताएं रखता हो और वह एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा प्रबंधक मंडल द्वारा निर्धारित अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और तत्संबंधी कार्यों का अनुपालन करेगा।

10. सामान्य परिषद:-

- (1) सरकार कुलाधिपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के लिए सामान्य परिषद का गठन करेगी, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. कुलाधिपति - अध्यक्ष
2. प्रबंधक मंडल का अध्यक्ष - सदस्य
3. कुलपति - सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा - सदस्य
5. प्रमुख सचिव वित्त - सदस्य
6. कुलाधिपति द्वारा मनोनीत तीन प्रभावशाली व्यक्ति
7. कुलपति द्वारा मनोनीत एक प्रोफेसर/डीन
8. रजिस्ट्रार - गैर-सदस्य सचिव

- (2) मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और उन्हें पुनः नामित किया जा सकता है।
- (3) सामान्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी, जिसकी तारीख कुलाधिपति द्वारा कुलपति से सलाह मशवरा करके तय की जाएगी।
- (4) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सामान्य परिषद के निर्माकित अधिकार और दायित्व होंगे:-
 - (क) विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षित लेखों को प्राप्त करना और पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सहित विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
 - (ख) विश्वविद्यालय के लक्ष्य और मिशन को ध्यान में रख कर उसके लिए कार्यनीतिक योजना विकसित करना।
 - (ग) योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नीतियां बनाना तथा समय समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय में सुधार और उसके विकास के उपाय सुझाना।
 - (घ) कोई अन्य कार्य करना, जो अधिनियम में निर्धारित किया गया हो।
- (5) सामान्य परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा, जिसमें नोटिस पोस्ट करने की तारीख और बैठक की तारीख शामिल नहीं होगी। परंतु, किसी आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुला सकता है।
- (6) कुलाधिपति सहित वर्तमान सदस्यों का एक तिहाई सामान्य परिषद की किसी भी बैठक के लिए कोरम समझा जाएगा, जिसमें किसी भी अंश को अगली संख्या में राउंड आफ किया जाएगा।
- (7) सामान्य परिषद उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से निर्णय करेगी।
- (8) परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे।

11. प्रबंधक मंडल:-

- प्रबंधक मंडल का गठन अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, जो फार्मास्युटिकल विज्ञान अथवा अनुबंधी विज्ञान के क्षेत्र में एक वरिष्ठ शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता अथवा उद्योगपति होगा:-
- (1) प्रबंधक मंडल को विश्वविद्यालय के राजस्व और परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन का समग्र अधिकार होगा और वह अधिनियम, कानूनों और अध्यादेशों में अन्यथा प्रावधान न किए गए विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेगा।
 - (2) प्रबंधक मंडल विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के लिए नीतियां और उन नीतियों के कार्यान्वयन के तौर तरीके निर्धारित करेगा।
 - (3) अधिनियम, कानूनों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन प्रबंधक मंडल निर्माकित कार्यों को अंजाम देगा:-
 - (क) विश्वविद्यालय और कालेजों में शिक्षण और अन्य शैक्षिक पदों का सृजन करना तथा शैक्षिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए प्रोफेसर्स, सहायक प्रोफेसर्स और अन्य शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित शैक्षिक स्टाफ की सेवा शर्तों और कार्यों को परिभाषित करना।

- (ख) शैक्षिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के लिए योग्यता और पात्रता की शर्तें निर्धारित करना।
- ग) नियुक्ति के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रोफेसर्स, अतिरिक्त प्रोफेसर्स, असोशिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और ऐसे ही अन्य आवश्यक शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति करना और तत्संबंधी अनुबंध करना।
- घ) गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों का निर्धारण करना।
- ङ) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर्स, विशिष्ट वैज्ञानिकों, विशिष्ट मानद प्रोफेसर्स, विजिटिंग प्रोफेसर्स, अनुबंधित प्रोफेसर्स अथवा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों की कार्य शर्तें निर्धारित करना।
- च) वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रशासनिक लिपिकीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा नियुक्ति की पद्धति निर्दिष्ट करना।
- छ) तत्संबंधी प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर आवश्यक गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना।
- ज) कानूनों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों पर नियंत्रण करना और उनके बीच अनुशासन लागू करना।
- झ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल संपत्ति का हस्तान्तरण करना या अंतरण स्वीकार करना।
- ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों को सुनना, उन्हें उपयुक्त सलाह देना और शिकायतों का निबटारा करना।
- ट) समिति के सदस्यों, गेस्ट लेक्चरर्स को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते का निर्धारण करना।
- ठ) विश्वविद्यालय की एक सामान्य मुहर का चयन करना और उस मुहर के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश तय करना।
- ड) अध्यक्षतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वजीफों आदि की स्थापना करना।
- ढ) ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करना और ऐसे अन्य कार्यों को अंजाम देना, जो अधिनियम या कानूनों द्वारा प्रदत्त या सौंपे गए हों।
- ण) अपने अधिकारों में से किन्हीं अधिकारों को कुलपति को प्रत्यायोजित करना, और कुलपति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी को अथवा कुलपति द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित करना।
- (4) प्रबंधक मंडल विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वि"विद्यालय के उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा जो अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों में वर्णित न किए गए हों।
- (5) प्रबंधक मंडल की बैठकें :-
कुलपति प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष की सलाह पर प्रबंधक मंडल की बैठकें बुलाएगा अथवा बैठक बुलाने का कारण तय करेगा-
- (क) प्रबंधक मंडल की बैठक हर तीन महीने बाद होगी बशर्ते प्रबंधक मंडल के अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुमति से कुलपति बैठक बुलाना आवश्यक समझे अथवा प्रबंधक मंडल के वर्तमान सदस्यों में से एक-तिहाई (किसी भी अंश को अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ किया जायेगा) सदस्यों ने बैठक बुलाने का लिखित रूप में अनुरोध किया हो। प्रबंधक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम सात दिन का नोटिस अनिवार्य होगा। किसी आपात स्थिति में अध्यक्ष को अल्पावधि के नोटिस पर बैठक बुलाने का अधिकार होगा।
- (ख) प्रबंधक मंडल की वर्तमान संख्या का एक तिहाई या पांच सदस्य, इनमें जो भी अधिक हो, को प्रबंधक मंडल की बैठक के लिए गणपूर्ति (यानी कोरम) समझा जायेगा, जिसमें किसी भी अंश को अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ किया जायेगा।

- (ग) प्रबंधक मंडल के निर्णय उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किए जाएंगे।
- (घ) अध्यक्ष सहित प्रबंधक मंडल का प्रत्येक सदस्य एक वोट देने का पात्र होगा और प्रबंधक मंडल द्वारा समाधान किए जाने वाले किसी प्रश्न पर दोनों पक्षों के मत बराबर-बराबर होने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष को स्वयं का एक मत देने के अतिरिक्त मुद्दे के अंतिम निपटान के लिए या अंतिम निर्णय करने के लिए एक और मत देने का अधिकार होगा।
- (ङ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेगा। परन्तु, उन दोनों की अनुपस्थिति में प्रबंधक मंडल की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से एक चुना हुआ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (च) कोई प्रस्ताव सभी सदस्यों के बीच प्रसारित करके पारित किया जा सकता है और अधिसंख्यत सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन या विरोध किया हो, उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा, जितना कि ऐसा प्रस्ताव होता है, जो प्रबंधक मंडल की बैठक में पारित किया गया हो।

12. शैक्षणिक परिषद:-

- (1) शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:-

- (क) कुलपति इसके चेयरमैन होंगे;
- (ख) औषधि विज्ञान या संबद्ध विज्ञानों से जुड़े सम्मानित या प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के शिक्षाविदों या शोधकर्ताओं या उद्योगपतियों में से तीन लोग, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों और उन्हें प्रबंधक मंडल द्वारा नामित किया गया हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के सभी डीन;
- (घ) केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों के सभी प्रमुख;
- (ङ) कुलपति द्वारा रोटेशन (चक्रानुक्रम में) में वरिष्ठता के आधार पर नामित किए गए दो विभाग प्रमुख;
- (च) कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन में नामित किए गए तीन प्रोफेसर;
- (छ) परीक्षा नियंत्रक;
- (ज) रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव।
- (2) अधिनियम के अनुच्छेद 19 के संबंधित प्रावधानों, विधानों और अध्यादेशों के तहत शैक्षणिक परिषद के पास सभी शक्तियों के अलावा निम्नलिखित अधिकार भी होंगे:-
- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों की सामान्य निगरानी और शैक्षणिक मानदंडों में निर्देश, आकलन या अध्ययन या कार्यान्वयन के तरीकों से संबंधित निर्देश देना।
- (ख) विभाग/विद्यालय/अध्ययन केंद्र के सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना और उसके बाद उचित कदम उठाना।
- (ग) अनुशासन, प्रवेश, फेलोशिप देना, छात्रवृत्ति, शुल्क और अन्य शैक्षणिक जरूरतों सहित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कामकाज से संबंधित विधान और अध्यादेशों के क्रम में नियम बनाना।
- (घ) शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्वीकृति के बाद लागू करना।
- शैक्षणिक परिषद को विधान की उपधारा 14 (2) के अंतर्गत चयन समिति के सदस्यों के लिए विशेषज्ञों/पेशवरों की एक सूची बनानी होगी।

- (3) शैक्षणिक परिषद को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।

- (4) पदेन सदस्यों को छोड़कर शैक्षणिक परिषद के सदस्यों को नियुक्ति की तारीख से तीन साल तक के लिए कार्यालय मिलेगा।

- (5) शैक्षणिक परिषद के तीन सदस्यों को बैठक के लिए कोरम तैयार करना होगा।

13. वित्त समिति:-

- (1) अधिनियम के अनुच्छेद 14 के तहत विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियां विकसित करने और विश्वविद्यालय के राजस्व व व्यय पर नजर रखने के लिए एक वित्त समिति होगी।

- (2) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित तरीके से एक वित्त समिति बनाई जाएगी:

- (क) कुलपति-अध्यक्ष या चेयरपर्सन
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित दो सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव, वित्त
(घ) प्रमुख सचिव/तकनीक शिक्षा सचिव
(ङ) वित्त नियंत्रक, सदस्य सचिव
- (3) वित्त समिति को विश्वविद्यालय की गतिविधियों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए सिफारिशें करनी होंगी और वित्त समिति की इन सिफारिशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखा जाएगा।
वित्त समिति को विश्वविद्यालय की गतिविधियों की परिचालन क्षमता में सुधार, राजस्व अर्जन के उपाय और विश्वविद्यालय के बड़े व्यय के प्रस्तावों जिसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को आवश्यकता हो, के लिए अपनी सिफारिशें देनी होंगी।
- (4) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
(5) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक खाते और बजट को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंपने से पहले स्वीकृति के लिए वित्त समिति के सामने रखा जाएगा।
14. **बोर्ड ऑफ स्टडीज (या पाठ्यक्रम बोर्ड):-**
(1) डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल को मामलों के आदार पर शैक्षणिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए हर विभाग और/या स्कूल ऑफ स्टडीज के पास एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, जिनमें पाठ्यक्रम को तैयार करने से संबंधित मामलों और उनमें लगातार सुधार शामिल हैं;
(2) बोर्ड ऑफ स्टडीज के स्वरूप और उसके कामकाज का अध्यादेशों में उल्लेख किया जाएगा।
15. **चयन समितियाँ:-**
सभी नियमित/अनुबंधित नियुक्तियों को चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा:-
क. शैक्षणिक पदों के लिए चयन समिति
(1) प्रोफेसर्स, अतिरिक्त प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर्स, व्याख्याताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के वास्ते बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सिफारिशें करने के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी।
(2) प्रोफेसर्स, अतिरिक्त प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर्स, व्याख्याताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बनी हर चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
I. कुलपति-चेयरमैन
II. डीटीटीई के प्रमुख सचिव या उनके नामित
III. चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक नामित
IV. संबंधित डीन
V. शैक्षणिक परिषद द्वारा स्वीकृत कम से कम 7 सदस्यों वाले पैनल में कुलपति के द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के तीन ऐसे विशेषज्ञों को शामिल करना, जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों और हर पद के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी लेना
VI. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति स्तर के एक राजपत्रित अधिकारी स्तर के प्रतिनिधि
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत बनाई गई चयन समिति की बैठक के लिए चयन समिति के 4 सदस्यों (जिसमें कम से कम दो विशेषज्ञ हों) को एक कोरम बनाना होगा।
(4) इस विधान के अंतर्गत गठित चयन समिति को उन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिनका उल्लेख अध्यादेशों में किया गया है।
(5) यदि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चयन समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो उसे सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने की वजह का उल्लेख करना होगा और इसे कुलाधिपति को भेजना होगा, जिनका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ख. विद्यालयों के डीन और विभाग प्रमुखों की नियुक्ति के लिए चयन समिति

- (1) डीन्स और प्रमुखों की नियुक्त के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) डीन और प्रमुखों की नियुक्ति के लिए हर चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाएंगे—

I. कुलपति—चेयरमैन

II. कुलपति द्वारा नामित दो क्षेत्र विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से जुड़े नहीं हों

III. रजिस्ट्रार—गैर सदस्य सचिव

(3) चयन समिति के दो सदस्यों (जिनमें कम से कम एक विशेषज्ञ होगा) को उपधारा (2) के अंतर्गत बनाई गई चयन समिति की बैठक के लिए एक कोरम बनाना होगा।

(4) इस विधान के अंतर्गत चयन समितियों द्वारा सिफारिशें करने में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख अध्यादेशों में किया गया है।

ग. गैर शैक्षणिक पदों के लिए चयन समिति

(1) गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को अपनी सिफारिशें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास भेजनी होंगी।

(2) गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बनी हर चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

क. कुलपति—चेयरमैन

ख. डीटीटीई निदेशक या उनके नामित

ग. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर के दो विशेषज्ञ

घ. राजपत्रित अधिकारी स्तर के अनुसूचित जाति या जनजाति स्तर के एक प्रतिनिधि

ङ. रजिस्ट्रार

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक के लिए चयन समिति के 4 सदस्यों (कम से कम 2 विशेषज्ञ हों) को एक कोरम तैयार करना होगा

(4) इस विधान के अंतर्गत गठित चयन समितियों द्वारा सिफारिशें करने में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख अध्यादेशों में किया गया है।

(5) यदि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चयन समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो उसे सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने की वजह का उल्लेख करना होगा और इसे कुलाधिपति को भेजना होगा, जिनका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।

16. समितियाँ:-

(1) विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकरण जरूरत पड़ने पर कितनी भी स्थायी या विशेष समितियों का गठन कर सकता है और ऐसी समितियों में ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हों।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त कोई भी समिति सौंपे गए विषय को देख सकती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई से पहले नियुक्ति समिति से इसकी मंजूरी ले सकती है।

17. नियुक्ति की विशेष व्यवस्था:-

(1) इस सबके बावजूद विधान 15 के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उचित नियम और शर्तों के आधार पर सम्मानित वेतन पर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रोफेसर/सम्मानित वैज्ञानिक/अतिथि प्रोफेसर या अन्य समान पद को स्वीकार करने के लिए विशेष अकादमिक उपलब्धि और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले एक व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है और व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकता है।

(2) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान या संगठन में काम कर रहे किसी भी शैक्षणिक कर्मचारी को शिक्षण/शोध कार्य या एक परियोजना या किसी अन्य कार्य के लिए तय नियम व शर्तों पर राष्ट्रीय प्रोफेसर/सम्मानित वैज्ञानिक/अतिथि प्रोफेसर नियुक्त कर सकता है, जो विधानों में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत होगा।

18. मान्यता प्राप्त शिक्षक:-

- (1) महाविद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों की मान्यता के वास्ते पात्रता के लिए योग्यताएं व अन्य शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में सुझाई गई प्रक्रिया के तहत तय की जाएंगी।
- (2) एक महाविद्यालय में शिक्षकों की मान्यता के सभी मामले विधान 15 की उपधारा (क) के अंतर्गत गठित चयन समितियों के साथ और उसकी स्वीकृति के बाद निबटाए जाएंगे।

19. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के सेवा नियमों व शर्तों और आचार संहिता:-

- (1) किसी भी अनुबंध के नहीं होने पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी पर अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों में उल्लिखित सेवा नियमों व शर्तों और आचार संहिता लागू होगी।
- (2) शैक्षणिक कर्मचारी के हर शिक्षक और सदस्य को एक लिखित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (3) उपधारा (2) में उल्लिखित हर अनुबंध की प्रति को रजिस्ट्रार के समक्ष जमा किया जाएगा।

20. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें व नियम और आचार संहिता:-

किसी भी तरह का अनुबंध नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों से इतर विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों में उल्लिखित सेवा नियम व शर्तें और आचार संहिता लागू होगी।

21. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाना:-

- (1) यदि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी पर गंभीर कदाचार के आरोप हों, तो कुलपति उचित लगने पर ऐसे कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को सूचना और निर्देश दे सकते हैं।
 - (2) नियुक्ति अनुबंध की शर्तों या कर्मचारियों की सेवा शर्तों व नियमों में इससे संबंधित कुछ नहीं होने पर नियुक्ति विभाग के पास अन्य कर्मचारी की तरह कदाचार और या दुष्कृत्यत के आधार पर उसे हटाने का अधिकार होगा।
 - (3) जैसाकि ऊपर कहा गया है, नियुक्ति विभाग लिखित में तीन महीने का नोटिस दिए बिना और इस क्रम में तीन महीने का वेतन दिए या दोनों के संयोजन के बिना कर्मचारी को हटा नहीं पाएगा।
 - (4) किसी भी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारियों के सदस्य या अन्य कर्मचारी को उपधारा (2) या उपधारा (3) के अंतर्गत उसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना नहीं हटाया जाएगा।
 - (5) शिक्षक शैक्षणिक कर्मचारी के एक सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने का फैसला आदेश की तारीख से लागू होगा।
- इस विधान में पूर्वगामी प्रावधान नहीं होने के कारण एक शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी सदस्य या अन्य कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों के मामले में एक महीने का नोटिस मिलने के बाद और स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने का नोटिस मिलने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या नियुक्ति विभाग को लिखकर, जैसा लागू हो, विश्व विद्यालय से इस्तीफा दे सकता है या इस क्रम में एक अथवा तीन महीने का वेतन चुकाया जा सकता है;
- ऐसा इस्तीफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या नियुक्ति विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से लागू होगा, जैसा लागू हो।

22. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बरकरार रखना :-

- (1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मामले में अनुशासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार कुलपति के पास रहेंगे, जो अपना कोई भी अधिकार विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को दे सकते हैं जो उन्हें सही लगे।
- (2) कुलपति को यदि सही लगे तो अनुशासन बरकरार रखने या इससे संबंधित कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने अधिकारों को आदेश, निर्देश के माध्यम से लागू कर सकते हैं, जिसमें छात्रों को

एक निश्चित अवधि तक विश्वविद्यालय के किसी कोर्स या कोर्सेज में प्रवेश नहीं देना, या आदेश के माध्यम से जुर्माना लगाना, या छात्र या छात्रों के नतीजे रोक लेना जिन परीक्षा या परीक्षाओं में उन्होंने भाग लिया हो।

23. विधिक कार्यवाही:—

विश्वविद्यालय के अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों के तहत विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार या किसी व्यक्ति की तरफ से मुकदमा करेगा और ऐसा नहीं होने पर बोर्ड गवर्नर्स द्वारा ऐसे व्यक्तियों के नाम तय किए जाएंगे।

24. अन्य प्रावधान:—

अधिनियम के अनुच्छेद 3 के तहत दिल्ली औषधि विज्ञान एवं शोध संस्थान (दिप्सार) का संवैधानिक कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के तौर पर गठन किया जा रहा है।

दिल्ली औषधि विज्ञान एवं शोध विश्वविद्यालय (दिप्सरू) और इसकी संविधिक विभागों के पूर्ण नियंत्रण और निगरानी के तहत, दिल्ली औषधि विज्ञान एवं शोध-संस्थान (दिप्सार) की एक प्रशासनिक ईकाई होगी जो विश्वविद्यालय के समय-समय पर अध्यादों में दिये गये निर्देशों के साथ ही विधान की उपधारा 2 (ड) में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर संस्थान से जुड़े मामलों का प्रबंधन करेगी।

दिल्ली औषधि विज्ञान एवं शोध संस्थान (दिप्सार) के शिक्षक और उनके शिक्षण एवं प्रशासनिक कामकाज की सेवा शर्तों और नियंत्रक तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों व नियमों को विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गये अध्यादेश के माध्यम से तय किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

डॉ. ओ. पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (योजना)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 17th January, 2018

No.F.1(12)/DTTE/SB/DIPSAR/2016/ 196.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with section 22 of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Act, 2008 (Delhi Act 7 of 2008), the Government of National Capital Territory of Delhi, after obtaining the prior approval of the Chancellor, hereby, makes the following Statutes of the Delhi Pharmaceutical Science and Research University, Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement:-** (1) These Statutes may be called as the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University – Delhi Statutes, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:-** (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires –
 - a) "Act" means the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Act 2008 (Delhi Act 7 of 2008);
 - b) "Academic staff" shall mean Professors, Additional Professors, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Programmer, System Manager, and such other academic post, as may be decided by the Board of Governors;
 - c) "Board of Studies" means Board of Studies of a Centre/Department/School;
 - d) "Clause" means the clause of a Statute in which that expression occurs;

- e) "Head" means Director or Principal of the Constituent College or Dean of Schools or Centre or Head of the Department;
 - f) "Non-teaching staff" includes Registrar, Controller of Finance, and Controller of Examinations, technical staff, administrative, ministerial and other staff, as may be decided by the Board of Governors;
 - g) "Section" means a section of the Act;
 - h) "Finance Committee" means Finance Committee of the University;
- (2) Words and expressions used but not defined in these Statutes and defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
3. **The Chancellor and his functions:-** (1) The Lieutenant Governor of Delhi shall be the Chancellor of the University and by virtue of his office shall be the Chairman of General Council.
- (2) The Chancellor when present shall preside over the convocation of the University.
- (3) The Chancellor shall exercise such powers as may be conferred by on him by or under the provisions of the Act.
4. **The Vice-Chancellor:-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University.
- (2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names (written in alphabetical order) recommended by the search-cum-selection committee as mentioned in Clause (4).
- (3) Person to be appointed as Vice-Chancellor shall be an eminent scientist/researcher in the field of Pharmaceutical Sciences or allied health sciences.
- (4) The search-cum-selection committee referred to in sub clause (2) shall comprise of –
- (a) An eminent academician nominated by the Chancellor - Chairperson
 - (b) Former or present Director of Government Medical or Pharmaceutical Institution nominated by the Chancellor– Member
 - (c) Former or present Director of Government or reputed Research and Development Centre or institution nominated by the Chancellor– Member
 - (d) An academician of the level of Vice-Chancellor, present or former, as a nominee of the University Grant Commission – Member.
 - (e) Pr. Secretary/Secretary in the Technical Education Department of the Government – Member Secretary (ex-officio)

Member Secretary will submit the recommendation to Chancellor for taking decision.

- (5) The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date he/she enters upon his office and shall be eligible for reappointment through search-cum-selection committee for not more than one term:

Provided that the person appointed as Vice Chancellor shall, on completion of seventy years of age during his/her term of office ceases to hold office.

- (6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:-
- (i) The Vice Chancellor shall be paid a salary and perks as per recommendations and guidelines of University Grants Commission or All India Council for Technical Education or in parity with the Vice-Chancellor of a Central University whichever is higher and revised from time to time. He shall be entitled to the free use of the University Car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his / her terms of office and no charge shall fall on the Vice Chancellor personally in respect of the maintenance of such car and residence:

Provided that if a person in receipt of any pension is appointed as Vice Chancellor, his salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

- (ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and allowances as are admissible to the University employees from time to time.
- (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board of Governors with the approval of the Chancellor from time to time.

Provided that where an employee of the University or of any other University or of any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to such provident fund of which he is a member and University shall contribute to the account of such person in that Provident Fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such schemes.

- (7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other reason, the senior most Dean shall perform the new functions of the Vice Chancellor, and if there is no regular Dean, the regular Professor appointed by the Vice Chancellor shall perform the new functions of the Vice-Chancellor until the new Vice Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his office, as the case may be.
5. **Powers and functions of the Vice-Chancellor:-** (1) a) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Academic Council and the Finance Committee.
- b) The Vice-Chancellor shall chair the meetings of the General Council, in case Chancellor is unable to do so.
- (2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at and address meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she is a member of such authority or body.
- (3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure compliance of directions issued by Chancellor from time to time and to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed. He / She shall have all the powers to ensure such observance.
- (4) The Vice Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decision of all the authorities of the University.
- (5) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any officer of the University and make necessary arrangement for the discharge of the functions of such officer during his absence.
- (6) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.
- (7) The Vice-Chancellor shall grant leave of absence to any employee of the University in accordance with the Rules and, if so decides, may delegate such power to another officer of the University.
- (8) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the General Council, with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Governors, with the approval of Chairman Board of Governors.
- (9) The Vice-Chancellor shall have the power to make short term appointment, for a period not exceeding six months of such persons as he may consider necessary for the functioning of the University and bring to the notice of the Board of Governors in the next meeting.
- (10) The Vice-Chancellor may appoint committees or- sub-committee by whatever name called, of members of the staff to manage such activities as he may deem fit and/or otherwise authorise any officer of the university to appoint such committees.
- (11) The Vice-chancellor shall participate or nominate members of staff to participate in national conferences and in international conferences in the area of interest to the university.
- (12) The Vice-Chancellor shall draw, make, accept, and endorse cheques, notes or other negotiable instruments for the purpose of the university in terms of delegation by the Board of Governors.
- (13) The Vice-Chancellor may re-delegate some of his powers to any of his subordinates not below the rank of Professor and equivalent and bring to the notice of the Board of Governors in the next meeting.
- (14) The Vice-Chancellor may exercise such other powers as may be assigned to him by the Act, Statutes and Ordinances.
6. **The Deans:-** (1) There shall be Deans to head the Schools or Centre of studies or to deal with academics, examinations, research and consultancy and student welfare and to deal with such other aspects as the Board of Governors deems it necessary.

- (2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the professors of the University for a period of three years and he shall be eligible for reappointment.

Provided that a Dean on attaining the age of sixty five years shall cease to hold office as such;
Provided further that if at any time, there is no professor in a department or school, or a Dean is authorized by the Vice-Chancellor in this behalf, shall exercise the powers of the Head of the Department or school.

- (3) When the office of the Dean is vacant or where the Dean by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by such person of appropriate level as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (4) The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to her/him.
- (5) The Dean shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.
- (6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies or a committee of the Department/School but shall not have the right to vote there, unless he is a member thereof.

7. **The Registrar:-** (1) The Board of Governors shall constitute a selection committee for the appointment of Registrar which shall comprise of:

- a) The Vice Chancellor
- b) One nominee of Chairman Board of Governors
- c) One nominee of the Principal Secretary /Secretary Technical Education
- d) Two experts not below the rank of Professor or equivalent nominated by the Vice Chancellor

- (2) The Registrar shall be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the selection committee constituted under clause (I) and he shall be a whole-time salaried officer of the University.
- (3) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances:

Provided that, a Registrar shall retire on attaining the age of sixty two years.

- (4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his functions as the Registrar. His functions shall be performed by such person of appropriate level appointed by the Vice-Chancellor.
- (5) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers, as may be specified in the ordinances or by the general or special order made on the behalf of the Vice-Chancellor.
- (6) An appeal against any order made by the Registrar in pursuance of clause (5) shall lie to the Vice-chancellor, if taken as specified in the ordinances.
- (7) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations for such action as the Vice-Chancellor may deem fit :

Provided that in such a case an appeal against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty on an employee shall lie to the Board of Governors.

- (8) The Registrar shall, in relation to the authority concerned:-

- a) be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Board of Governors may commit to his charge;

- b) issue notices and convene meetings of that authority and the committees appointed by it;
 - c) keep the minutes of the meetings of that authority and the committees appointed by it;
 - d) conduct the official proceedings and correspondence; and
 - e) supply to the Chancellor a copy each of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as it is issued and the minutes of such meetings.
- (9) The Registrar may be designated by the Vice-Chancellor or the Board of Governors to represent the University in suits or proceedings, by or against the University, sign powers of attorney, verify pleadings and depute his representative for the purpose.
- (10) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Governors/ Vice-Chancellor.
8. **The Controller of Finance:-** The Controller of Finance shall be an officer of the University under sub-section (4) of Section 9 of the Act.
- (1) The Selection Committee for the appointment of the Controller of Finance shall comprise of :-
- a) The Vice-Chancellor
 - b) One nominee of Chairman Board of Governors
 - c) Nominee of Principal Secretary Finance
 - d) Nominee of Pr. Secretary/ Secretary Technical Education
 - e) Two Experts nominated by the Vice-Chancellor from the panel approved by the Finance Committee.
- (2) The Controller of Finance shall be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the selection committee constituted under sub clause (I) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.
- (3) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances:
Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of sixty two years.
- (4) When the office of the Controller of Finance falls vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his functions as the Controller of Finance, his functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (5) The Controller of Finance shall-
- a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and
 - b) perform such other financial functions as may be assigned to him/her by the Board of Governors or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:
- (6) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Governors, the Controller of Finance shall-
- a. ensure compliance of financial rules and regulations as prescribed by the university;
 - b. be responsible for proper and timely investment of university funds with the approval of the Vice-Chancellor;
 - c. be responsible to get formats of books of accounts approved by the Finance Committee;
 - d. be responsible for getting internal and external audit of the books of accounts of the university;
 - e. ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring, and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and the money is expended or spent for the purposes for which it was granted or allotted;
 - f. be responsible for the preparation of the annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Board of Governors after they have been considered by the Finance Committee;
 - g. keep a constant watch on the cash and bank balances and investments;
 - h. watch the progress of collection of revenues and advise on the methods of collection employed;
 - i. bring to the notice of the Vice Chancellor any unauthorized expenditure or any other financial irregularity and suggest appropriate action against person at fault;
 - j. suggest steps for enacting the revenues and containing the cost of the university;

- k. effectively implement the financial policies of the university and to ensure that revenues and expenditure are in accordance with the budget of the University;
 - l. ensure that the registers of the properties of the university are maintained properly and that stock checking of the equipment and other material in the offices, different departments and centres of the university is conducted in a time bound manner;
 - m. call from any office of the University, including centres/departments/colleges maintained by the University, any information or report that he/she may consider necessary for the performance of his functions.
- (7) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized on his behalf by the Board of Governors shall be a sufficient discharge for payment of moneys to the University.
9. **The Librarian:-**
The Librarian shall be a whole time salaried officer appointed by the Board of Governors on recommendations of a selection committee constituted for the purpose, and shall possess such qualifications and exercise such powers and perform such duties, as may be determined by the Board of Governors.
10. **General Council:-** (1) The Government shall constitute the General Council for the University headed by the Chancellor consisting of the following members:-
- 1. The Chancellor- Chairman
 - 2. The Chairman BOG –Member
 - 3. The Vice Chancellor –Member
 - 4. The Pr. Secretary/Secretary, Technical Education –Member
 - 5. Pr. Secretary Finance –Member
 - 6. Three persons of eminence nominated by the Chancellor
 - 7. One Professor/Dean nominated by the Vice-Chancellor
 - 8. Registrar – Non-Member Secretary
- (2) The members nominated shall hold the office for a period of three years and can be re-nominated.
- (3) The General Council shall meet at least once in a year on such date as may be decided by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor.
- (4) Subject to the provisions of the Act, the General Council shall have the following powers and functions namely:
- a. To adopt audited accounts of the University and review the working of the university including the annual report of the previous year.
 - b. To develop strategic plan for the University keeping the vision and mission of the University.
 - c. To formulate policies for execution and monitoring the plan and from time to time review the broad policies and programs of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University.
 - d. To perform any such other functions as may be subscribed in the Act.
- (5) For every meeting of the General Council at least fourteen days clear notice shall be given to the members, excluding the day of posting the notice and the day of the meeting. However, in case of any urgency, the Chairman may direct at shorter notice.
- (6) One-third of the exiting members including the Chancellor shall constitute the quorum at any meeting of the General Council, any fraction being rounded off to the next higher number.
- (7) The decision of the General Council shall be by a simple majority of the members present.
- (8) Every meeting of the Council shall be chaired by the Chancellor, and in his absence, by the Vice-Chancellor.
11. **The Board of Governors:-**
The Board of Governors shall be constituted as per the provisions of section 16 of the Act. The Chairman, Board of Governors shall be nominated by the Chancellor, who shall be an eminent educationist, scientist/researcher or an eminent industrialist in the field of pharmaceutical sciences or allied health sciences:-

- (1) The Board of Governors shall have the overall power of management and administration of the University, including revenues and properties of the University and the conduct of all the administration affairs of the University not otherwise provided for, in the Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The Board of Governors will lay down policies for the functioning of the University and for the manner of implementation of these policies.
- (3) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Board of Governors shall perform following functions:-
 - a) To create teaching and other academic posts in the University and colleges and to define the functions and conditions of service of the Professors, Assistant Professors and other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration on the recommendations of the Academic Council.
 - b) To prescribe qualification and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council.
 - c) To make appointments or to enter into Contract with Professors, Additional Professors, Associate Professor, Assistant Professors, Lecturers and such academic staff, as may be necessary, on the recommendations of the selection Committees constituted for the purpose.
 - d) To prescribe qualification and other conditions of eligibility for non-teaching staff.
 - e) To provide for the appointment of National Research Professors, Distinguished Scientists, Distinguished Honorary Professors, Visiting professors, Adjunct Professors or any such other positions prescribed by the Government from time to time and determine the terms and conditions of such appointment.
 - f) To create administrative, ministerial and other necessary posts after taking into account the recommendations of the Finance Committee and to specify the manner of appointment.
 - g) To make appointments of non-teaching staff as may be necessary, on the recommendations of the selection committee constituted for the purpose.
 - h) To regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the Statutes and Ordinances.
 - i) To transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University.
 - j) To entertain, educate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason feel aggrieved.
 - k) To fix the remuneration payable to the members of committee, guest lectures and travelling allowances payable.
 - l) To select a common seal for the University and to provide guidelines for the use of such seal.
 - m) To institute fellowships, scholarships, studentships.
 - n) To exercise such powers and perform such other functions as may be conferred or imposed by the Act or statutes.
 - o) To delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice-Chancellor to the Registrar, the Controller of Finance or any other Officer, employee or authority of the University or to a Committee appointed by it.
- (4) The Board of Governors shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations for the fulfilment of the objects of the university.
- (5) Meetings of the Board of Governors-

The Vice-Chancellor shall convene or cause to be convened meetings of the Board of Governors in consultation with the Chairman, Board of Governors-

 - a) Board of Governors shall ordinarily meet once every three months provided that the Chairman Board of Governors or Vice- Chancellor, with the permission of the Chairman, may he/she thinks fit, or, on a written requisition of not less than one-third of the existing members of the Board of Governors (fraction being rounded off to next higher number) call for a meeting. Not less than seven days notice shall be given for every meeting of the Board of Governors. In case of urgency, the Chairman, may call for a meeting at a shorter notice.

- b) One-third of the existing strength of the Board of Governors or five members, whichever is higher shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, any fraction being rounded off to the higher number.
- c) The decisions of the Board of Governors shall be by a simple majority of the members present and voting.
- d) Each member of the Board of Governors including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by - the Board of Governors, the Chairperson of the meeting shall in addition to his own vote have and exercise casting vote to decide the issue.
- e) In the absence of the Chairman, the Vice-Chancellor shall chair the meeting. However, in the absence of both of them, the meeting shall be chaired by one of the members chosen from amongst the Board of Governors present in the meeting.
- f) Any resolution may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signed their approval or disapproval on such resolutions shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board of Governors.

12. **The Academic Council:-** (1) The academic council shall comprise of the following persons, namely:-

- a) The Vice-Chancellor who shall be the Chairman;
 - b) Three persons from amongst educationists of repute or eminent scientists or researchers or industrialists from discipline of Pharmaceutical Sciences or allied sciences, who are not in the service of the university and nominated by the Board of Governors;
 - c) All Deans of the university;
 - d) All Heads of the Centres /Schools/Colleges;
 - e) Two heads of the Departmental nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
 - f) Three professors nominated by the Vice Chancellor on rotation as per seniority;
 - g) Controller of Examination;
 - h) Registrar, Member Secretary.
- 2) Subject to the relevant provisions of Section-19 of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it by the Act or under the Statutes, have the following powers, namely:-
- a) To exercise general supervision over the academic policies of the university and to give directions regarding method of instructions, evaluation or research or implementation in academic standards.
 - b) To consider matters of general academic interest of Department/ School/Centre of studies and to take appropriate action thereon.
 - c) To frame such regulations as are consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the University, including discipline, admissions, award of fellowships and studentships, fees and other academic requirements and
 - d) The regulations framed by the Academic Council will take effect after approval by the Board of Governors.

The academic council shall draw up a list of experts/professionals to be members of selection committees constituted under Clause 14(2) of the Statute

3) The Academic Council shall meet at least twice a year.

4) The members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years from the date of their appointment.

5) One third members of the Academic Council shall form the Quorum for the meeting.

13. **The Finance Committee:-** (1) There shall be a Finance Committee as per the Section 14 of the Act to develop financial policies of the University and to oversee the revenues and expenditures of the university.

(2) The Finance Committee will be constituted as per the Section 14 of the Act by the Board of Governors as follows:

- a) The Vice Chancellor - Chairperson
- b) Two persons nominated by the Chancellor

- c) The Principal Secretary, Finance
- d) The Principal Secretary/Secretary Technical Education
- e) Controller of Finance, Member Secretary

The Finance Committee shall make recommendations on generating revenues through the university's activities and these recommendations of the Finance Committee shall be placed before the Board of Governors for a decision.

- (3) The Finance Committee shall make recommendations on improving the operational efficiency of the University's activities, measures for revenue generation, and on major expenditure proposals of the university, as may be required by the Board of Governors.
- (4) The Controller of Finance shall be the ex-officio Member-Secretary of the Finance Committee.
- (5) The annual accounts and the budget of the university prepared by the Controller of Finance shall be placed before the Finance Committee for approval before being submitted to the Board of Governors.

14. The Board of Studies:-

- 1) Each Department and/or School of studies shall have a Board of Studies to advice on academic matters of the Department of School, as the case may, including matters relating to formulation of curriculum and its regular update;
- 2) The composition of Board of Studies and its functions will be as specified in the Ordinances.

15. Selection Committees:-

All the regular/Contractual appointments shall be done through the Selection Committee:-

a. Selection Committee for the Teaching Posts

- (1) Selection Committee shall be constituted for making recommendations to the Board of Governors for appointment to Professors, Additional Professor, Associate Professors, Assistant Professors, lecturers and other academic staff.
- (2) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of Professors, Additional Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Lecturer and other academic staff shall consist of the following members, namely-
 - I. The Vice-Chancellor-Chairman
 - II. The Principal Secretary of DTTE or his/her nominee
 - III. One nominee of the Chairman, Board of Governors
 - IV. Concerned Dean
 - V. Three experts of relevant field not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Academic Council and ratified by the Board of Governors for each post
 - VI. A representative of the Scheduled Caste or Scheduled Tribes of the rank of a Gazette Officer.

- (3) Four members of the Selection Committee (that shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the Selection Committee constituted under clause (2).
- (4) The procedures to be followed by the Selection Committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.
- (5) If the Board of Governors is unable to accept a recommendation by a Selection Committee, it shall record the reasons for not accepting the recommendations and submit the same to the chancellor whose decision in the matter shall be final and binding.

b. Selection Committee for the Appointments of Deans of the Schools and Heads of the Departments

- (1) Selection Committee shall be constituted for the appointment of Deans and Heads.

- (2) Each of the Selection Committees for appointment of Deans and Heads shall consist of the following members, namely-

- I. The Vice-Chancellor-Chairman
- II. Two experts of the field, not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor
- III. The Registrar – Non Member Secretary.

- (3) Two members of the Selection Committee (that shall include at least one expert) shall form a quorum for a meeting of the Selection Committee constituted under clause (2).
- (4) The procedures to be followed by the Selection Committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

c. Selection Committee for the Non-teaching Posts

- (1) Selection Committee shall be constituted for making recommendations to the Board of Governors, for appointment to non-academic staff not otherwise specified.
- (2) Each of the Selection Committees for appointment to the non-academic staff shall consist of the following members, namely-
- a. The Vice-Chancellor-Chairman
 - b. The Director of DTTE or his/her nominee
 - c. Two experts not connected with the University to be nominated by the Vice Chancellor
 - d. A representative of the scheduled caste or scheduled tribes of the rank of a Gazette Officer
 - e. The Registrar
- (3) Four members of the Selection Committee (that shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the Selection Committee constituted under clause (2).
- (4) The procedures to be followed by the Selection Committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.
- (5) If the Board of Governors is unable to accept a recommendation by a Selection Committee, it shall record the reasons for not accepting the recommendations and submit the same to the chancellor whose decision in the matter shall be final and binding.

16. Committees:-

- (1) Any authority of the University may appoint as many Standing or Special Committees as it may deem fit and may appoint on such committees such persons as are not members of such authority.
- (2) Any committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.

17. Special mode of appointment:-

- (1) Notwithstanding anything contained in Statute 15, the Board of Governors may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of a National Professor/Distinguished scientist/Visiting professor or any other equivalent academic post in the University on a respectable remuneration and terms and conditions as it may deem fit, and appoint the person to such post.
- (2) The Board of Governors may appoint any member of the academic staff working in any other university/institute or organisation as National Professor/ Professor/ Distinguished Scientist, Visiting Professors on a teaching/research assignment or for undertaking a project or any other work on such terms and conditions as may be determined by the Board of Governors in accordance with the manner specified by the Statutes.

18. Recognised teachers:-

- (1) The qualifications and other conditions of eligibility for recognition of teachers working in the colleges maintained by the University shall be such as are prescribed by the Ordinances.
- (2) All cases of recognition of teachers in a college shall be dealt with and approved by the Selection Committees as constituted under clause (a) of Statute 15.

19. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University:-

- (1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) Every teacher and member of the academic staff shall be appointed on a written contract.
- (3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

20. Terms and conditions of service and code of conduct for employees of the University:-

All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as specified in the Act, the Statutes and the Ordinances.

21. Removal of employees of the University:-

- (1) In case, there is an allegation of serious misconduct against an employee of the University, the Vice-Chancellor may, if deemed fit, place such employee under suspension and report to the appointing authority for further action and directions.
- (2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract appointment or in the other terms and conditions of service of the employees, the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove on grounds of misconduct, and/or malfeasance.
- (3) Save as aforesaid, the appointing authority, shall not remove employee without giving her/him three months notice in writing and in lieu thereof pay three months salary or a combination of two.
- (4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him/her.

The removal of a teacher, a member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made.

- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, a member of the academic staff or other employee may resign from the university after giving one month's notice in case of temporary staff and three months notice in case of permanent staff, in writing to the Board of Governors or the appointing authority, as the case may be, or by paying one or three month's salary in lieu thereof;

Provided that such resignation shall take effect only from the date on which the resignation is accepted by the Board of Governors, or the appointing authority, as the case may be.

22. Maintenance of discipline amongst the students of the University:-

- (1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers to such officers of the university, as he may deem fit.

- (2) Without prejudice to the generality of his/her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he/she may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his/her powers, by order, direct that students not be admitted to a course or courses of study in the University for a slated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he/ she has or they have appeared, to be withheld.

23. Legal Proceedings:-

The University may sue or be sued in the name of the Registrar or such person as shall be determined by the Act, Statutes and Ordinances of the University and in default of such determination, such person as shall be determined by the Board of Governors.

24. Other Provisions:-

As per Section 3 of the Act, Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences & Research (DIPSAR) is being incorporated as the constituent college of the University.

Subject to overall control and supervision of the Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) and its statutory authorities, there shall be a Governing Body of the Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research (DIPSAR) that shall manage the affairs of the Institute as prescribed from time to time by the Ordinances of the University with its Head as defined in clause 2(e) of the Statute.

The terms and conditions of services of teacher and their academic and administrative functioning as well as terms and conditions of services of non-academic staff of Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences & Research (DIPSAR) shall be laid down through the Ordinance as prescribed by the University.

By Order in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

Dr. O.P. SHUKLA, Jt. Director (Planning)

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.01.30 18:16:00
+05'30'